डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजी क्रमांक रायपुर डिवीजन



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 131] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 15 जून 2001—ज्येष्ठ 25, शक 1923

परिवहन विभाग

मंत्रालय, डी. के. एस. भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 15 जून 2001

आदेश.

क्रमांक 349/परिवि/2001.—छत्तीसगढ़ राज्य में वाहनों की चेकिंग एवं कर अपवचन को रोकने की दृष्टि से जगदलपुर, रायपुर, बिलासपुर में अतिरिक्त उड़नदस्ता की स्थापना की जाती है. इस उड़नदस्ता के लिये कार्यालय प्रभारियों को आवंटित वाहनों का उपयोग उड़नदस्ता के लिये करेंगे.

जगदलपुर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, के लिये बल उनके कार्यालय में निरीक्षक पी. आर. नेताम की पदस्थापना की गई है, जिसका स्तेमाल उड़नदस्ता में करेंगे इसके साथ कोंटा जांच चौकी से सहायक परिवहन उप- निरीक्षक, एक आरक्षक एवं धनपूंजी जांच चौकी से एक आरक्षक को क्रमानुसार तैनात करेंगे.

बिलासपुर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, कार्यालय को आवंटित वाहन का उपयोग वे इस उड़नदस्ता में करेंगे बिलासपुर, अंबिकापुर के कार्यालय में एक-एक निरीक्षक की पदस्थापना की गई है, जिन्हें वे केंवची, वाड्रफनगर व रामानुजगंज परिवहन जांच चौकी पर पदस्थ आरक्षकों को क्रमानुसार ड्यूटी लगा कर संचालित करेंगे.

रायपुर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, कार्यालय को आवंटित वाहन का उपयोग वे इस उड़नदस्ता में करेंगे. रायपुर कार्यालय में एक निरीक्षक की पदस्थापना की गई है. इसके साथ जांच चौकी भगतदेवरी से दो आरक्षकों को क्रमानुसार ड्यूटी लगाकर संचालित करेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

ए. एन. राव, अवर सचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.